न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 139/2020

1. बृजमोहन पुत्र श्री सुरजा राम जाति यादव, निवासी चक 16 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. मदन गोपाल पुत्र रामजीलाल, जाति अग्रवाल, निवासी 3–एच–4, जवाहर नगर, श्री गंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग — प्रार्थी
2. श्री विजय कुमार रेवाड़ — अप्रार्थी–1

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 05.02.2021

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम चक 16 एम. एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 120/59 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला न. 3–8–13 मे 0.759 हैक्टर नहरी कृषि भमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 16 एम.एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 24 के किला न. 9/2, 10/1, 11/2, 12/2, 17/3, 24/2 मे कुल 0.683 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी की कृषि भूमि शहर के समीप होने के कारण वह अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 24 के किला न. 3–8–13 मे सब्जीयां एंव पौधो की नर्सरी लगा रखी है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि से प्राप्त सब्जीयों एंव पौधो को शहर मे विक्रय करता है। जिस कारण भारी वाहनों का आवागमन सब्जीयों के शहर में लाने–लेजाने हेतू दैनिक रूप से होता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 23 व 18 मे स्वीकृतशुदा 16–1/2 फुट रास्ता से करता है परन्तु प्रार्थी की कृषि भूमि में सब्जीयां एंव पौधो को दैनिक लाने ले जाने हेतू भारी वाहनो के आवागमन मे उक्त स्वीकृत रास्ता चौड़ाई मे कम होने के कारण वाहनो के आवागमन मे व्यवधान व परेशानी पैदा होती है अर्थात वाहन सुगमता से आ–जा नही सकते है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे आने जाने हेतू इसी मुरब्बा के किला नम्बर 17/3 व 24/2 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में से 14 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवा पूर्व मे संचालित इसी मुरब्बा के किला नम्बर 23 व 18 के 16–1/2 फुट विद्यमान रास्ते को चौड़ाई मे बढ़ाते हुये 30 फुट चौडा़ करना चाहता है अर्थात वह

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 24 के 17/3 व 24/2 कि पश्चिमी दिशा मे दक्षिण से उत्तर कि ओर फट चौडाई मे रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिस हेतू उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी डीएलसी दर की दोगुनी राशि रास्ते के रूप में उपयोग होने वाली कृषि भूमि के बदले में देने हेतू तैयार व तत्पर है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे आपसी रजामंदी से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन टाल मटोल करता रहा व दिनांक 05.12.2020 को बमुकाम वाके चक 16 एम.एल. रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने हेतू साफ इंकार हो गया। यही हेतूक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 16 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 3–8–13 में आने जाने हेतू पूर्व में विद्यमान स्वीकृत रास्ता जो की मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 18 व 23 में 16–1/2 फुट रास्ते की चौड़ाई बढ़ाई जाकर, साथ चिपते इसी मुरब्बा के किला नम्बर 17/3 व 24/2, (जो मुरब्बा नम्बर 24 के कि.न. 18 व 23 के पूर्वी दिशा मे साथ लगते है) के पश्चिमी दिशा मे 14 फुट चौड़ा रास्ता दक्षिण से उत्तर दिशा में स्वीकृत किया जावे। अन्य कोई न्यायसंगत आदेश जो प्रार्थी के पक्ष मे हो प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्त. अधि. का जवाब दिनांक 29.01.2021 को पेश किया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी अन्य भूमि के साथ वाके चक 16 एम एल के मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 17/3 (पूर्व मे किला नं. 17/2) व 24/2 की कुल 1 बीघा भूमि का खातेदार मालिक था। अप्रार्थी की यह भूमि श्रीगंगानगर–हनुमानगढ़ सड़क पर स्थित होने से व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपर्युक्त होने से अप्रार्थी ने अपनी उक्त मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 17/3 (पूर्व मे किला नं. 17/2) व 24/2 की कुल 1 बीघा भूमि माननीय जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर से भू–रूपान्तरित करवा ली और जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश क्रमांक एफ12(3)(59)राजस्व/15/6286 दिनांक 28–07–2015 से संपरिवर्तन कर दी और इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर, सरपंच ग्राम पंचायत 11 एम एल श्रीगंगानगर व प्रार्थी मदन गोपाल को दे दी। प्रार्थी ने अपनी उक्त 1 बीघा भूमि का एकल भूखण्ड बनाकर उसमे चारदीवारी कर दक्षिणी दिशा मे खुलता हुआ दरवाजा लगा दिया और इसमे वाणिज्यिक कार्य शुरू कर दिया। उक्त भूमि वाणिज्यिक होने से सिंचाई विभाग द्वारा इस भूमि का पानी भी काट दिया गया और वर्तमान में यह भूमि कृषि भूमि नहीं है और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रयोग में ली जा रही है। उक्त रूपान्तरित आदेश भू–रूपान्तरण न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर को भेज दिया गया था और प्रार्थी ने भूदृरूपान्तरित आदेश की प्रति हल्का पटवारी को भी दे दी तो हल्का पटवारी ने कहा कि उक्त आदेश की नकल तहसील मे तहसीलदार महोदय के पास आयेगी उस पर आपका इंतकाल दर्ज कर दिया जावेगा। भू–रूपान्तरित आदेश की नकल संलग्न आवेदन पत्र है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की वाके चक 16 एम एल के मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 17/3 (पूर्व मे 17/2) व 24/2 की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश किया है। चक 16 एम एल के मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 17/3 (पूर्व मे 17/2) व 24/2 की 1 बीघा भूमि जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28–07–2015 से भूदृ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

रूपान्तरित की जा चुकी है और इस भूखण्ड में अप्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक कार्य किया जा रहा है और यह भूमि कृषि भूमि नहीं होने से माननीय न्यायालय इसके बारे मे वाद व प्रार्थना पत्र सुनने में सक्षम नहीं है। अप्रार्थी को उक्त रास्ता स्वीकृति प्रार्थना पत्र का नोटिस आने पर अप्रार्थी ने जमाबन्दी की नकल ली तो अप्रार्थी को ज्ञान हुआ कि उक्त भू–रूपान्तरित आदेश का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नहीं हुआ है। इस पर अप्रार्थी ने भू–रूपान्तरित आदेश का अमल दरामद करवाने हेतू अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। धारा 251–ए आर.टी.ए के तहत कृषि भूमि के लिए कृषि भूमि मे से ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अप्रार्थी की मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 17/3 व 24/2 की भूमि जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा भू–रूपान्तरित वाणिज्यिक कर दिये जाने से व वर्तमान में वाणिज्यिक कार्य होने से इस भूमि के बारे मे माननीय न्यायालय को वाद व प्रार्थना पत्र सुनने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 3, 8, 13 में 3 बीघा कृषि भूमि बतायी है और इसके लिए मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 18/1, 23/2 में 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज होना स्वीकार किया है। प्रार्थी के किला नं. 3, 8, 13 में से किला नं. 8 मे प्रार्थी की बड़ी ढ़ाणी बनी हुई है और केवल 2 बीघा भूमि ही कृषि कार्य के लिए उपयोग हो रही है और 2 बीघा भूमि के पर्याप्त रास्ता है। आवेदन पत्र निराधार पेश किया गया है। परन्तु किला नं. 8 में प्रार्थी की बड़ी रिहायशी ढ़ाणी बनी हुई है और किला नं. 8 मे कृषि कार्य नहीं हो रहा है का तथ्य प्रार्थी ने छुपाया है और केवल 2 बीघा मे ही प्रार्थी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम होना स्वीकार है परन्तु अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि माननीय जिला कलैक्टर के आदेश दिनांक 28–07–2015 से संपरिवर्तन की जा चुकी है और कृषि भूमि नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज किया गया है गलत होने से स्वीकार नहीं है। मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 3, 8, 13 मे प्रार्थी ने सब्जियां एवं पौधो की नर्सरी लगा रखी है और इनको शहर मे विक्रय करता है और भारी वाहनो का आवागमन दैनिक रूप से होता है का कथन प्रार्थी ने गलत दर्ज किया है। किला नं. 8 में प्रार्थी की बड़ी रिहायशी ढाणी बनी हुई है और रिहायशी ढाणी मे प्रार्थी पशुधन भी रखता है इस प्रकार किला नं. 8 प्रार्थी की पूरी रिहायशी ढ़ाणी में ही काम लिया जा रहा है और केवल किला नं. 3, 13 कुल 2 बीघा भूमि मे प्रार्थी कृषि कार्य कर रहा है। प्रार्थी के इन दो किला में गेंहू की फसल काश्त की हुई है और इन 2 बीघा में कोई सब्जी व पौधो की नर्सरी प्रार्थी ने कभी नहीं लगायी है और न सब्जी व पौधो की नर्सरी के बारे में प्रार्थी ने कोई साक्ष्य पेश किया है और न कोई सब्जी विक्रय करने का बिल या करार पेश किया है। प्रार्थी की भूमि के लिए किला नं. 23 व 18 में प्रार्थी द्वारा कथित 16–1/2 रास्ता पर्याप्त है और जिसमे आवागमन आसानी से हो रहा है। प्रार्थी उक्त रास्ता की चौड़ाई को अधिक करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र दुर्भावना पूर्वक प्रस्तुत किया गया होने से खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी के नाम भूमि भूदृरूपान्तरित भूमि है और कृषि भूमि नहीं है जिसमे से प्रार्थी रास्ता स्वीकार करवाने का या पूर्व रास्ता की चौड़ाई बढ़वाने का अधिकारी नहीं है और न माननीय न्यायालय भू–रूपान्तरित भूमि में रास्ता स्वीकृत करने मे या रास्ता की चौड़ाई बढ़ाने मे सक्षम है। किला नं. 17 में प्रार्थी स्वयं की भूमि है और किला नं. 17 की भमि प्रार्थी रास्ता के उपयोग में ले सकता है। प्रार्थी ने किला नं. 17 की भूमि भू–रूपान्तरित करवा ली है अब प्रार्थी अन्य भूमि मे से रास्ता मांगने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को डी.एल.सी. दर की दोगुना राशि रास्ता के रूप में उपयोग होने वाली भूमि के बदले में देने का प्रश्न पैदा नहीं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

होता है। प्रार्थना पत्र निराधार पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी की केवल 2 बीघा भूमि के कृषि कार्य के लिए पर्याप्त रास्ता मौजूद है तो अप्रार्थी को कहना और अप्रार्थी द्वारा इंकार करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इस पैरा के कुल तथ्य प्रार्थी ने झूठे और प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए दर्ज किये गय है। माननीय न्यायालय को केवल कृषि भूमि के बारे मे ही क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है। अप्रार्थी की भूमि कृषि भूमि नहीं है और माननीय न्यायालय प्रार्थना पत्र सुनने में सक्षम नहीं है। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र मे अपनी भूमि के लिए इसी मुरब्बा के किला नं. 18 व 23 में रास्ता होना स्वयं स्वीकार किया है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदी है इससे पूर्व भी प्रार्थी ने माननीय न्यायालय मे अनवानी बृजमोहन बनाम सरकार प्रकरण संख्या 33/2008 के माध्यम से अप्रार्थी व अप्रार्थी के भाईयों के विरूद्ध अप्रार्थी के किला नं. 11 व 12 में से रास्ता की मांग की थी और अप्रार्थी का उक्त आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–08–2009 से खारिज कर दिया था और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश मे स्पष्ट अंकित किया था कि प्रार्थी की भूमि के लिए किला नं. 18 व 23 मे 16 फुट रास्ता मौका पर स्वीकृत है और जो चालू हैं और प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की मॉर्किट वेल्यू बढ़ाना चाहता है। कृषि प्रयोजनार्थ के लिए रास्ता पूर्व मे है वांछित रास्ता का ओर कोई मकसद नहीं है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर मे अपील अनवानी बृजमोहन बनाम स्टेट दायर की थी और स्वयं अपीलांट ने आवेदन पत्र देकर अपनी अपील खारिज करवा ली थी और रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है और माननीय न्यायालय का आदेश सही है का कथन अपने आवेदन पत्र मे दर्ज किया था। ऐसी सूरत मे प्रार्थी के पास पूर्व मे रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी नया रास्ता मांगने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है। अतः उतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के सम्बन्ध में तहसीलदा (राजस्व) श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिर्पोट प्रार्थी वर्तमान में अपने रकबा मे आने–जाने के लिए चक 16 एल एल मु0न0 24 के किला न0 18/1 =0.013, 23/2=0.025 कुल 0.038 हैक0 गैर मु0 रास्ता की भूमि को काम में ले रहा है। प्रार्थी की भूमि के लिए निकटतम कटानी रास्ता चक 16 एम एल के मु0न0 24 के किला न0 18/1 =0.013, 23/250.025 कुल 0.038 हैक0 गैर मु० रास्ता है परन्तु प्रार्थी इसकी चौडाई बढाना चाहता है। प्रार्थी इस रास्ता के साथ–साथ किला न0 17/3 व 24/2की 0.031 हैक0 भूमि में से रास्ता स्वीकृत कराकर इस मार्ग की चौडाई 30 फीट करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की चौड़ाई बढ़ाने से भारी वाहनो तथा सब्जी व पौधो के परिवहन में आसानी रहती है। चाहा गया रास्ता सुगम है। प्रार्थी की भारी वाहनो तथा सब्जियो व पौधो के परिवहन की आवश्यकता के मध्य नजर रखते हुए रास्ता दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि को वर्तमान मे यही रास्ता उपयोग करता है अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों रकम पर आपसी सहमत नहीं है। पक्षकार व प्रतिकार की जमीन हेतु भी आपसी रजामन्दी नहीं है। प्रस्तावित रास्ता में कोई पेड़ नहीं है आवेदित रास्ता की भूमि पर प्रार्थी के द्वारा दीवार बनाकर गेट लगाया हुआ है। उपपंजीयक की डीएलसी के अनुसार टीआरए की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता में आई भूमि की डीएलसी की दुगुनी राशि 121532 रूपये बनती है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

–:: आदेश ::–

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रश्नगत आराजी संपरिवर्तित भूमि है, कृषि भूमि नहीं। अतः इस न्यायालय को इस भूमि पर सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी इस न्यायालय में रास्ता स्वीकृत करने का आवेदन लगाया गया था जो इस न्यायालय के निर्णण दिनांक 27.08.2009 द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः बहस में कथन किए कि पहले प्रश्नगत आराजी पर फूल की खेती नहीं होती थी। वर्तमान में फूलों की खेती के कारण ट्रकों का आवागमन होता है। अतः रास्ते की चौड़ाई बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध संपरिवर्तन आदेश दिनांक 6286/28.07.2015 की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह साबित है कि प्रश्नगत आराजी कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 6286/28.07.2015 द्वारा वाणिज्यिक प्रर्योजनार्थ संपरिवर्तन की जा चुकी है। अतः इससे यह साबित है कि प्रश्नगत आराजी कृषि भूमि नहीं है। धारा 251–ए राज. काश्त. अधि. के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर ही लागू होते हैं। इस न्यायालय को इस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/02/21

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner